

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266581 CG-DL-E-03102025-266581

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] No. 287] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/ आश्विन 7, 1947 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ ASVINA 7, 1947

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय) जांच शरुआत अधिसचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

मामला सं. ए डी (ओ आई) – 35/2025

विषय: चीन जन. गण. से मेलामाइन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. <u>फा. सं. 6/40/2025 - डीजीटीआर</u>: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षिति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) के संदर्भ में, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रुप में कहा गया है) ने चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेलामाइन" (जिसे इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' या 'पीयूसी' के रुप में कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

6529 GI/2025 (1)

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हो रही है और उसने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

# क. विचाराधीन उत्पाद

- 3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "मेलामाइन" है।
- 4. मेलामाइन से उत्पादित और लेमिनेट के लिए प्रयुक्त मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन अच्छी कठोरता, खरोंच, दाग, पानी और गर्मी के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। कुछ औद्योगिक विद्युत अनुप्रयोगों में प्रयुक्त लेमिनेट में उच्च यांत्रिक शक्ति, अच्छा ताप प्रतिरोध और अच्छे विद्युत रोधक गुण होते हैं।
- 5. विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान जांच में माप की इकाई मीट्रिक टन (मी. टन) है।
- 6. मेलामाइन को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप-शीर्षक 2933 61 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- 7. आवेदक ने कोई पीसीएन पद्धित का प्रस्ताव नहीं किया है। हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच की शुरुआत होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धित पर अपनी टिप्पणियां/ सुझाव प्रस्तुत करें।

# ख. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं और आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं, आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, मूल्य निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का ही परस्पर उपयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अत:, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

# ग. घरेलू उद्योग एवं स्थिति

- 9. यह आवेदन गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के एकमात्र उत्पादक हैं। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध देश के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।
- 10. इसके देखते हुए, और जांच के बाद, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है और नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग है।

# घ. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

# ङ. जांच की अवधि

12. जांच की अवधि (पीओआई) दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) तक है। क्षित जांच की अवधि अप्रैल 2021-मार्च 2022, अप्रैल 2022-मार्च 2023, अप्रैल 2023-मार्च 2024 और जांच की अवधि है।

# च. कथित पाटन का आधार

# i. सामान्य मूल्य

- 13. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है और यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- 14. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और मूल्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसे उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।
- 15. जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, विचाराधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को जोड़कर विधिवत समायोजित किया गया है।

# ii. निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत, डीजी सिस्टम के लेन-देन-वार आयात संबंधी आंकड़ों में सूचित किए गए विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और ऋण लागत के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

## iii. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बिल्क महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेल बाजार में पाटन किया जा रहा है।

## छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण आवेदक को हुई क्षित के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों में माग में वृद्धि के अतिरिक्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कारण कीमत में आई गिरावट ने आवेदक को पूरी लागत वसूलने और उचित प्रतिफल दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोक दिया है। आवेदक वित्तीय घाटे, नकारात्मक रुप से नकदी लाभ और नकारात्मक पी बी आई टी का सामना कर रहा है। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण आवेदक को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच शुरुआत करने को उचित ठहराते हैं।

# ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

19. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देश में मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

## झ. प्रक्रिया

20. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

# ञ. <u>सूचना की प्रस्तुती</u>

- 21. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्र-व्यवहार ईमेल पते dir16-dgtr@gov.in और ad13-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए, साथ ही उनकी एक-एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर भी भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुत अनुरोध का विस्तृत भाग सर्च योग्य पीडीएफ/एमएस-वल्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्शल। फार्मेट में हों।
- 22. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है तािक वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी संगत सूचनाएं प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीिक से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीके से, इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
- 24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- 25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें तािक वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

## ट. समय-सीमा

- 26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित ईमेल पतों dir16-dgtr@gov.in और ad13-dgtr@gov.in पर ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक-एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in पर भेजी जानी चाहिए। यह सूचना आवेदक द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किए जाने या नियमों के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त हुई सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
- 27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्लावली के उत्तर दाखिल करें।

28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार आवेदन दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाना होगा और ऐसा

अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

# ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की पस्तुती

- 29. जहां वर्तमान जांच में शामिल कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आवेदन करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना होगा।
- 30. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किया गया कोई भी आवेदन प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमित देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 31. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की हैं, और/ या ऐसी अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
- 32. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ, गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त स्थान दिया गया हो (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
- 33. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सिहत कारणों का विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाएं, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान की जानी चाहिए।
- 34. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को प्रसारित किए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 35. गोपनीयता के दावे पर, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय पाठ या पर्याप्त कारण कथन और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
- 36. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
- 37. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार किए जाने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमित के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

# ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत हितधारक पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितधारक पक्षकारों को ईमेल करें।

# ढ़ <u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण रुप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते है जो वह उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन.निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)
(Directorate General of Trade Remedies)
INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2025 **CASE No. AD (OI) – 35/2025** 

#### Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Melamine from China PR.

- 1. F. No. No. 6/40/2025-DGTR: Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), Gujrat State Fertilisers and Chemicals Limited (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of "Melamine" (hereinafter referred to as the 'product under consideration' or 'subject goods' or 'PUC') originating in or exported from China PR.
- 2. The applicant has alleged that material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject country and has requested for the imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

## A. <u>Product under consideration.</u>

- 3. The product under consideration in the present investigation is "Melamine".
- 4. Melamine formaldehyde resins produced using melamine and used for laminates offer good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminates used in some industrial electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties.

- 5. The unit of measurement considered in the present investigation for the product under consideration is Metric Tons (MT).
- 6. Melamine is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2933 61 00. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.
- 7. The applicant has not proposed any PCN methodology. The interested parties are advised to furnish their comments/suggestions on the scope of product under consideration and PCN methodology within 15 days from the date of initiation of this investigation.

## B. <u>Like article.</u>

8. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the applicant. Subject goods produced by the applicant and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the product produced by the applicant is being treated as like article to the product under consideration imported from the subject country.

## C. <u>Domestic industry & standing.</u>

- 9. The application has been filed by Gujrat State Fertilisers and Chemicals Limited. The applicant has claimed that they are the sole producer of the subject goods in India. The applicant has further certified that they have not imported the subject goods nor related to any exporters from the subject country or importers in India.
- 10. In view of the same, and after examination, the Authority is satisfied that the application has been made by the domestic industry and satisfy the requirements of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules and the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

## D. Subject country.

11. The subject country in the present investigation is China PR.

# E. Period of investigation.

12. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st April 2024 – 31<sup>st</sup> March 2025 (12 months). The injury examination period is April 2021– March 2022, April 2022 – March 2023, April 2023 – March 2024 and the period of investigation.

### F. Basis of alleged dumping.

#### i. Normal value

- 13. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the product under consideration. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
- 14. The applicant has submitted that data relating to cost and price in market economy third country is not available. The applicant has determined normal value for product under consideration based on cost of production in India, adjusted to include a reasonable profit margin.
- 15. For the purpose of initiation, the normal value for the product under consideration has been determined based on cost of production in India, duly adjusted for addition of selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

### ii. Export price.

16. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System Transaction wise import data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and credit costs.

## iii. Dumping margin.

17. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima* facie establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject country is not only above the *de minimis* level but is also significant. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

## G. Evidence of injury and causal link.

18. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the applicant because of dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in absolute terms as well as relative term. The imports from subject country have increased over and above the increase in demand. The price undercutting from the subject country is positive. The price depression caused by the dumped imports have prevented the applicant from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicant is suffering from financial losses, negative cash profit and negative PBIT. There is sufficient *prima facie* evidence of material injury being caused to the applicant due to dumped imports from the subject country to justify the initiation of the anti-dumping investigation.

# H. <u>Initiation of anti-dumping investigation.</u>

19. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to

the product under consideration originating in or exported from subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### I. Procedure.

20. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

### J. Submission of information.

- 21. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses <a href="mailto:dir@gov.in">dir16dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:addtr@gov.in">add13-dgtr@gov.in</a> with a copy to <a href="mailto:adv13-dgtr@gov.in">adv13-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:consultant-dgtr@nic.in">consultant-dgtr@nic.in</a>.

  It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
- 22. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
- 23. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
- 24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
- 25. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

#### K. Time limit.

- 26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses <a href="mailto:dir16-dgtr@gov.in">dir16-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:dgtr@gov.in">add13-dgtr@gov.in</a> with a copy to <a href="mailto:ddtr@gov.in">adv13-dgtr@gov.in</a> and <a href="mailto:consultant-dgtr@nic.in">consultant-dgtr@nic.in</a>. within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the applicant would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
- 27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### L. Submission of information on confidential basis.

- 29. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
- 30. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
- 31. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
- 32. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
- 33. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
- 34. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
- 35. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
- 36. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

## M. <u>Inspection of public file.</u>

38. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

## N. Non-cooperation.

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority